बिहार सरकार

समाहरणालय, कटिहार

(जिला बाल संरक्षण इकाई, कटिहार)

विज्ञापन संख्या – 03/2026

बालगृह (बालक) हेतु सभी अभ्यर्थी के लिए

निदेशक, समाज कल्याण–सह–उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार, पटना के पत्रांक 365, दिनांक 02.03.2026 से प्राप्त निदेश के आलोक में वृहद आश्रय गृह, कटिहार अंतर्गत संचालित बालगृह (बालक) में निम्नांकित पदों पर विनिर्धारित मानदेय पर संविदा आधारित अस्थाई नियोजन हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं –

S.N.	Name of the Post	Number of Post (Reservation Quota)	Essential Qualification	Experience	Salary per Month (in Rs.)	Age Minimum & Maximum (in years)
1	Educator (Part Time)	02 (UR-01) (EBC-01)	10+2 with diploma in elementary education (D.El.Ed) or B.Ed. from recognized University.	At least one year experience of teaching in a school or institution.	10,000	UR (Male)- 18-37 UR (Female)- 18-40 BC-1 & BC-2 (Male & Female)- 18-40 SC/ST (Male & Female)- 18-42
2	Art & Craft cum Music Teacher (Part Time)	02 (UR-01) (EBC-01)	10+2 with diploma/Degree in Art & Craft/Music from a recognized University.	At least one year experience in a school or institution.	10,000	
3	PT Instructor cum Yoga Trainer (Part Time)	02 (UR-01) (EBC-01)	10+2 with diploma/Degree in Yoga/Sports/Athletics/Physical education.	At least one year experience in a school or institution.	10,000	
4	Cook	04 (UR-02) (EBC-01) (SC-01)	8th Pass	At least one year experience in a school or institution.	9,930	
5	Helper-cum-Night watchman	04 (UR-02) (EBC-01) (SC-01)	8th Pass	N/A	7,944	
6	Housekeeper	02 (UR-01) (EBC-01)	8th Pass	N/A	7,944	
7	Care Taker-cum-Vocational Instructor	01 (UR-01)	Matriculation With certificate course in Vocational Trade (Tailoring, Handicraft, Mobile repairing, basic computer skill like Data Entry etc.)	A minimum of 1 year experience working as a vocational trainer/instructor in a school/Institution.	9,930	

आवेदन की शर्तें एवं निर्देश :–

1. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार विहित प्रपत्र में संपूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र (मूल उत्तीर्णता प्रमाण पत्र एवं संबंधित अंक पत्र सहित), फोटोग्राफ, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (आरक्षण का लाभ पाने हेतु केवल बिहार के मूल निवासी के लिए), आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ **दिनांक 20.08.2026 के अपराह्न 05.00 बजे तक निबंधित डाक/हाथों–हाथ सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, प्रशासनिक भवन प्रथम तल, वृहद आश्रय गृह (प्रखंड कार्यालय, कटिहार के पीछे) पिन–854105** के कार्यालय में जमा करें। उक्त समय–सीमा के पश्चात् आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किए जाएँगे।
2. एक से अधिक पदों के लिए अलग–अलग आवेदन करना होगा।
3. आरक्षण केवल बिहार के मूल निवासी को देय है। महिलाओं को नियमानुसार आरक्षण देय होगा।
4. अभ्यर्थी विहित प्रपत्र में आवेदन करेंगे तथा विज्ञापन संख्या एवं पद का उल्लेख करेंगे। विहित प्रपत्र में आवेदन नहीं करने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।
5. अधिकतम एवं न्यूनतम आयु की गणना 01.04.2026 के आधार पर की जाएगी।

6. आवेदन पत्र भेजने के क्रम में लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में **बालगृह (बालक), वृहद आश्रय गृह, कटिहार में नियोजन हेतु आवेदन पत्र, विज्ञापन संख्या एवं पद** के नाम का उल्लेख अवश्य करेंगे।
7. केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत वैध संस्थाओं अथवा नीति आयोग पर पंजीकृत गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सक्षम प्राधिकार के कार्यालय ज्ञापांक एवं दिनांक के साथ निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अंतिम 06 माह का वेतन/पारिश्रमिक/मानदेय भुगतान के साक्ष्य के रूप में बैंक स्टेटमेंट/वेतन विवरणी प्रस्तुत करना होगा। विद्यालय से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र हेतु यह अनिवार्य है कि उक्त विद्यालय शिक्षा विभाग/मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबद्ध हो एवं प्रमाण पत्र कार्यालय ज्ञापांक, दिनांक के साथ निर्गत हो।
8. बाल देखरेख संस्थानों में वर्तमान में अभिरुचि के आधार पर कार्यरत NGO द्वारा नियोजित कर्मी को नियोजन के उपरांत की गई सेवा अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम आयु सीमा में दी जाएगी। आयु सीमा में छूट केवल उसी पद के लिए अनुमान्य होगा जिस पद पर NGO द्वारा कर्मी का नियोजन किया गया था। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।
9. साक्षात्कार की तिथि को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों एवं अनुभव प्रमाण पत्र की मूल प्रति सत्यापन हेतु लाना अनिवार्य होगा।
10. चयन प्रक्रिया एवं नियोजन की शर्तें विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार होंगी। विस्तृत विभागीय दिशा–निर्देश एवं आवेदन प्रपत्र जिला की आधिकारिक वेबसाईट **https://katihar.nic.in** पर देखा जा सकता है। साथ ही साक्षात्कार में भाग लेने हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची, अभ्यर्थियों की मेधा सूची आदि का प्रकाशन समय–समय पर उक्त वेबसाइट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा।
11. नियोजन के उपरांत सभी दस्तावेजों की जांच कराई जा सकती है। दस्तावेज एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियोजन समाप्त करते हुए विधि–सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
12. जिला स्तर से नियोजन के संबंध में अपीलीय प्राधिकार जिला पदाधिकारी होंगे एवं उनका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
13. संविदा आधारित अस्थायी नियोजन के लिए चयनित कर्मी सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे तथा किसी भी सरकारी सुविधा के अधिकारी नहीं होंगे। उन्हें चयनित पद के अनुरूप उनके द्वारा किए गए कार्य अवधि के लिए केवल विनिर्धारित मानदेय दिया जाएगा।
14. आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार उक्त पदों पर चयन हेतु गठित जिलास्तरीय चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
15. माननीय न्यायालय, किसी संशोधन, विभाग या वरीय पदाधिकारी से प्राप्त कोई निदेश या अन्य किसी आवश्यक परिस्थिति में इस विज्ञापन को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, कटिहार के पास होगा।

ह0 22/07/24

सहायक निदेशक

जिला बाल संरक्षण इकाई, कटिहार